

Government of Rajasthan
 REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
 SUB-REGISTRAR : DATA RAMGARH

Fee Receipt
 Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 05-08-2020 2:19 PM



Fee Receipt No	: 202002497002005	Receipt Date	: 05/08/2020
Name	: KHIVARAM JRYIE MUKH, SHYAM SUNDAR TAILOR.	Document S. No.	: 202001497002286
Address	: BHARIJA ,BHARIJA ,BHARIJA ,SIKAR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 30000	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 300	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees.Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 270	Stamp Duty	: ₹ 900
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1670
		Total Amount	: ₹ 1670

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

o-Gras Challan 41545537 ₹ 1670

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of Sub-Registrar
 and date of return receipt
 दाता रामगढ़, सीकर

SUB-REGISTRAR



राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम) दांतारामगढ़(सीकर)
क्रमांक / मूल / 2020 / राजस्व / 203-09

दिनांक: 27 जुलाई, 2020

-: संपरिवर्तन आदेश :

आवेदक/प्रार्थी श्री खीवाराम पुत्र नानूराम जाति बलाई निवासी पालोट तहसील डीडवाना जिला नागौर जरिये मुख्यार श्री श्याम सुन्दर टेलर पुत्र गंगाधर टेलर जाति दर्जी निवासी वार्ड नम्बर 6 भारीजा, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में घारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विविधियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिघृति का नाम पिता/पति के नाम सहित मूरा पता	श्री खीवाराम पुत्र नानूराम जाति बलाई निवासी पालोट तहसील डीडवाना जिला नागौर जरिये मुख्यार श्री श्याम सुन्दर टेलर पुत्र गंगाधर टेलर जाति दर्जी निवासी वार्ड नम्बर 6 भारीजा, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम रामगढ़ ग्रामपाल रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 934/345 रकबा 0.30 हेंड किस्म गेमु 0 चाही संपूर्ण 0.30 हेंड यानि 3000 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपरिचित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	रकबा	संपरिवर्तित रकबा हेंड	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर)
		934/345	0.30	0.30	3000 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेश में संपरिवर्तित रकबे को बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन			
5	संदेश प्रीमियम की दर	10.00 रु० प्रति वर्गमीटर			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	तादाद कुल 30000/ रुपये जमा			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं			
10	अन्य विविधियां यदि कोई हो	1 इंपिल्यन रोड कांगेस के मापदण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सडक/रास्ते/रेलवे/की सीमा कि भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार नियमानुसार छोड़ते हुए।			

कृ.प.उ...2

कृ.प.उ...2
कार्यालय प्राधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)

कृ.प.उ...2
उप पंजाबक
दांतारामगढ़ (सीकर)

- 11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—
- इंडियन रोड कॉम्पोजिट द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निशुल्क छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
 - संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों की पालना की जावेगी, तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
 - यदि प्रार्थी इंडियन रोड कॉम्पोजिट के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
 - राजस्थान सरकार के परिपत्र कमाक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र कमाक f-2(8)raj/bhu-ru group 09/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कॉम्पोजिट के अनुसार लागू होंगे।
 - The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose without obtaining prior permission of the prescribed authority.
 - No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
 - No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
 - If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
 - प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
 - सड़क व रास्ते व एचटीलाईन नक्शा ट्रैस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकबा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पुर्णतया वर्जित रहेगा।
 - रूपान्तरित भूमि में हरे पेड़ काटे जाने 500 रु प्रति पेड़ जुर्माना राशि जमा करायी जानी होगी और एक पेड़ काटे जाने पर 3 पेड़ लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
 - सुविधा आदि की व्यवस्था हेतु रूपान्तरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि में सांस्थानिक उपयोग किया जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़)

दांतारामगढ़ १५ अक्टूबर, 2020

कमाक / भूमि रूपा / 2020 / राजस्व / २०३-०९

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर।
- 2 तहसीलदार दांतारामगढ़।
- 3 उप पंजीयक दांतारामगढ़।
- 4 पटवारी हल्का, रामगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहां पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।
- 5 श्री खींवाराम पुत्र नानूराम जाति बलाई निवासी पालोट तहसील डीडवाना जिला नागौर जरिये मुख्यार श्री श्याम सुन्दर टेलर पुत्र गंगाधर टेलर जाति दर्जी निवासी वार्ड नम्बर 6 भारीजा, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 6 रक्षित पत्राकली।

प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़)

दांतारामगढ़ अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)

लिखित



Presentation Endorsement

अज्ञ दिनोक ०५ मार्च ०८ अ.न् २०२० को ०२:४८ PM वेळे
स्त्री/दीमती/मुखी/ KHVARAM JRYIE MUKH, SHYAM SUNDAR TAILOR
कुमुकी/परति वी GANGADHAR TAILOR
उमे ४४ रोड, गांजी DARJI, अवमाल Service
निवासी House No. BHARIJA, Colony: BHARIJA, Area: BHARIJA, CITY:
BHARIJA, Pin code: 332742, District: SIKAR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख इस्तराहेव पंजीयन हेतु प्रमुख दिया।

३११८

उप पंजीयक
हस्ताक्षर उप पंजीयक
DATA RAMGARH

हस्ताक्षर प्रमुखकर्ता
202001497002286

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002497002005
दिनांक	05-08-2020
पंजीयन शुल्क ₹	300
परिविहित शुल्क ₹	0
पुष्टिकाल शुल्क ₹	200
बन्ध शुल्क ₹	0
कमी रकम शुल्क ₹	900
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	270
कुल रोम	1670

202001497002286

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

३११८

उप पंजीयक, DATA RAMGARH



Endorsement of Execution

अमृत राधाकृष्णन का नाम व पता:

राजाविज

1. श्री/श्रीमती/मुख्यमंत्री S D M DANTARAMGARH, राजस्थानीय मंत्री
SUB DIV. MEJT., भारत सरकार
Rajasthan Government



2. श्री/श्रीमती/मुख्यमंत्री KHIVARAM JRYIE MUKH. SHYAM SUNDAR
TAILOR, राजस्थानीय मंत्री GANGADHAR TAILOR, राजस्थानीय मंत्री
Service=Mr DARJI
House No.:BHARIJA, Colony: BHARIJA, Area: BHARIJA,
City: BHARIJA, Pin code: 332742, District: SIKAR, State:
RAJASTHAN

		Claimant Age: 44 Signature

मेरे द्वारा प्रदान की गई अधिकारीय निम्न व्यक्तियों ने की है। जिनके द्वारा एवं जैगुड़ा निवास में व्यापक लाभ लिया गया है।

अमृत राधाकृष्णन का नाम व पता:

राजाविज	अमृत	Signature

202001497002286

३११
उप पंजीकरण
RAMGARH
दानतरामगढ़ गोकर

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



Under 54 Endorsement

प्राप्त 54 के लक्ष्य प्रमाणपत्र प्रमाणित किया गया है कि इस लेख पर की संतुलित रु 30000 मानते हुए इस पर दैव कमी मुद्राक राशि रु 900 पर कमी चंडीचन शुल्क रु 300, सरदाज़े राशि 270 कुल रु 1470 रहीद संतुल्य 202002497002005 दिनांक 05-08-2020 से जमा किये गये हैं।

अतः दस्तखत को रु 900 की मुद्राको पर निम्नादित जमा जाता है।

202001497002286

उप पंजीयक DATA उप पंजीयक
RAMGARH राजस्थान सौकर

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Registration Endorsement

आज दिनांक 05/08/2020 को
पुस्तक मंडपा 1 जिल्हा संख्या 537 में
पृष्ठ संख्या 27 क्रम संख्या 202003497101348 पर पंजीबद्ध किया गया है।
अतिरिक्त पुस्तक मंडपा 1 जिल्हा संख्या 2342 के
पृष्ठ संख्या 207 से 213 पर जमा किया गया।

202001497002286

उप पंजीयक DATA उप पंजीयक
राजस्थान सौकर

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Government of Rajasthan
 REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
 SUB-REGISTRAR : DATA RAMGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 05-08-2020 2:39 PM

Fee Receipt No	: 202002497002003	Receipt Date	: 05/08/2020
Name	: S D M DANTARAMGARH.	Document S. No.	: 202001497002284
Address	:		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8436	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 85	Fee for Memorandum Us 64_67	:
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us 57	:
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 150	Stamp Duty	: ₹ 500
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 935
		Total Amount	: ₹ 935

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

o-Gras Challan 41543053 ₹ 935

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 169

Signature of presenter or applicant for
 copy or Search certificate

Signature रुप धनीयक
 and date of return
 दाता रामगढ़, सीकर

Cashier

SUB-REGISTRAR



राजस्थान सरकार
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम) दांतारामगढ़(सीकर)
क्रमांक /भू.रु. /2020 /राजस्व ६७६-२।

दिनांक: २७ जूलाई 2020

— संपरिवर्तन आदेश :

आवेदक/प्रार्थी संस्कार शिक्षण समिति जरिये सचिव श्री गंगाधर पुत्र नारायण निवासी वार्ड नम्बर 06, भारीजा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृत में घारित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है :—

1	आवेदक खातेदार अभिघृत का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	संस्कार शिक्षण समिति जरिये सचिव श्री गंगाधर पुत्र नारायण निवासी वार्ड नम्बर 06, भारीजा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम रामगढ़ ग्रा०प० रामगढ़ तह० दांतारामगढ़ जिला सीकर			
	(ख)भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 1233/349 रक्षा 0.12 है० किस्म गै०म० चाही संपूर्ण 0.12 है० यानि 1200 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	रक्षा	संपरिवर्तित रक्षा है०	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर)
		1233/ 349	0.12	0.12	1200 वर्गमीटर
	टिप्पणी—(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलग्न है।)	सलग्न नक्शा द्वेष में संपरिवर्तित रक्षे को बरग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन			
5	रांदेय प्रीमियम की दर	7.03 रु० प्रति वर्गमीटर			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	तादाद कुल 8436/ रुपये जमा			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं			
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो	1 इण्डियन रोड कार्पोरेशन के मापदण्डों के अनुसार सलग्न नक्शा द्वेष के अनुसार सड़क/रास्ते/रेलवे/की सीमा कि भूमि सलग्न नक्शा द्वेष में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हुए।			

कृपृ.उ.2

३५८३

सुपरिवर्तन अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)

२०२०
उप प्रशासक
दांतारामगढ़, सीकर

२०२०-८२

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-
- इंडियन रोड कॉम्प्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
 - सबधित ग्राम पंचायत के नियमों की पालना की जावेगी, तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
 - यदि प्रार्थी इंडियन रोड कॉम्प्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
 - राजस्थान सरकार के परिपत्र कमाक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र कमाक f-2(8)raj/bhu-ru group 09/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कॉम्प्रेस के अनुसार लागू होंगे।
 - The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
 - No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
 - No part of the land converted for public utilitiy purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
 - If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
 - प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड पर्याप्त रूप से लगाये जायें।
 - सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रक्कड़ा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निमाण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
 - रूपान्तरित भूमि में हरे पेड काटे जाने 500 रु प्रति पेड जुर्माना राशि जसा करायी जानी होगी और एक पेड काटे जाने पर 3 पेड लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
 - सुविधा आदि की व्यवस्था हेतु रूपान्तरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जायेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि में सांस्थानिक उपयोग किया जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़)

दातारामगढ़ (भौज) जूलाई 2020

कमाक / भूमि रूपा / 2020 / राजस्व / ०९/०६-०९/

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर।
- 2 तहसीलदार दातारामगढ़।
- 3 उप पंजीयक दातारामगढ़।
- 4 पटवारी हल्का, रामगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहां पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरण की कार्यवाही करें।
- 5 संस्कार शिक्षण समिति जरिये सचिव श्री गंगाधर पुत्र नारायण निवासी वार्ड नम्बर 06, भारीजा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
- 6 रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़)

उपखण्ड अधिकारी

दातारामगढ़ (सीकर)



Presentation Endorsement

ज्ञान दिनांक: 05 मार्च 08 मन 2020 को 02:39 PM को
श्री/महिला/दूसरी SANSKAR SIKSHAN SAMITI JRY SACHIV
GANGADHAR TAILOR, रुक्मी/पति वा NARAYAN LAL
उमे 68 वर्ष, जाति DARJI, व्यापार Business
मिशनी House No.:BHARIJA, Colony: BHARIJA, Area: BHARIJA, City:
BHARIJA, Pin code: 332742, District: SIKAR, State: RAJASTHAN
ते संस्कृत इस्ताबद्ध पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

इस्ताबद्ध प्रस्तुतका
202001497002284

91111
इस्ताबद्ध उप पंजीयक
DATA RAMGARH, SIKAR
राजस्थान सरकार

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Fees Receipt Endorsement

रीट नं.	202002497002003
दिनांक	05-08-2020
करीबन रुपयां	85
परिवारिक रुपयां	0
पुष्टीकरण रुपयां	200
प्रम्य रुपयां	0
करी स्टाम्प रुपयां	500
करी मरम्यार्ज रुपयां	150
कुल रोप	935

202001497002284

21111
उप पंजीयक
DATA RAMGARH
राजस्थान सरकार

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



Endorsement of Execution

अमृ. क. यशवर्ती का नाम व पता

दाखिल

अमृ.



1. श्री/महिला/मुख्यमंत्री S.D.M. DANTARAMGARH, राजस्थान की
SUB DIV. MEJT., बालापाल ज़िले
Anyā Sarkār Upkram

		Executive कानूनी दस्तावेज़
		Claimant Age - 66 Signature : <i>रोगालू</i>

मेरे समान Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules, को पड़ मुन व समाकर नियमानुसार बदला भवितव्य किया।

परिवर्तन राहि क 8436- पूर्ण मे / मेरे समान / मे से क 8436- पूर्ण मे _____ मे मेरे समान पाला बदला भवितव्य किया।

इस नियमानुसार का मेरे समान लिए अधिकारी ने की है, जिसके इसलाभ पर अमृता विभाग मेरे समान नियम का है।

अमृ. क. यशवर्ती का नाम व पता

दाखिल

अमृ.

Signature

1. Name: श्री/महिला/मुख्यमंत्री MUKESH KUMAR VAISHNAV,
राजस्थान की OMPRAKASH ज़िले SWAMI
Age: 40
Add: House No: DANTARAMGARH, Colony:
DANTARAMGARH, Area: DANTARAMGARH, City:
DANTARAMGARH, Pin code: 332703, District: SIKAR,
State: RAJASTHAN

		Signature <i>Mukesh</i>
		Signature <i>Mukesh</i>

2. Name: श्री/महिला/मुख्यमंत्री SHYAM SUNDAR TAILOR,
राजस्थान की GANGADHAR TAILOR ज़िले DARJI
Age: 49
Add: House No: BHARIJA, Colony: BHARIJA, Area:
BHARIJA, City: BHARIJA, Pin code: 332742, District:
SIKAR, State: RAJASTHAN

202001497002284

मेरे समान
Rajasthan, SIKAR

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



Under 54 Endorsement

परा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालित रु 8436 गान्ते हुए इस पर देय कमी सुदूरक राशि रु 500 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 85, सरवाजे राशि 150 कुल रु 735 रसीद संख्या 202002497002003 दिनांक 05-08-2020 मे जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 500 के सुदूरको पर निष्पादित माना जाता है।

202001497002284

३/१/१
उप पंजीयक DATA
RAMPARSHIYA RAMCARI

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Registration Endorsement

आज दिनांक 05/08/2020 को
पुन्तक संख्या 1 जिल्हा संख्या 537 ने
पुन्न नाम्बर 25 क्रम संख्या 202003497101346 पर पंजीयन किया गया तथा
अतिरिक्त पुन्तक संख्या 1 जिल्हा संख्या 2342 के
पृष्ठ संख्या 193 से 199 पर चला किया गया।

202001497002284

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

३/१/१
उप पंजीयक DATA RAMCARI

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : DATA RAMGARH



Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 05-08-2020 23:47:27

Fee Receipt No	: 202002497002004	Receipt Date	: 05/08/2020
Name	: S.D.M. DANTARAMGARH.	Document S. No.	: 20200149700225
Address	Leases granted by a fine or platinum or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Document Type		Evaluate Value	: ₹ 0
Face Value	: ₹ 13957	Fees for Memorandum Us. 64.67	: ₹
Ord-Registration-Fee	: ₹ 134	Certified copying fees Us. 57	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Rog (memorandum)	: ₹
Stamp (Memorandum)	: ₹	Stamp Duty	: ₹ 500
Surcharge	: ₹ 150	Inspection fee	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Rs. 25.34	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
Custody	: ₹	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 984
		Total Amount	: ₹ 984

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

0-Orch Chalan 41544396 ₹ 984

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 268

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

211
लक्ष्मी पलीयक
Signature and date of return receipt
दातारामगढ़, सोकर

SUB-REGISTRAR

Cashier



—: संपरिवर्तन आदेश :

आवेदक/प्रार्थी श्यामसुन्दर टेलर पुत्र गंगाधर हिस्सा 7/19 जाति दर्जी निवासी भारीजा व संस्कार शिक्षण समिति दातारामगढ़ जरिये सचिव गंगाधर पुत्र नारायण हिस्सा 12/19 निवासी भारीजा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में घासित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (धार्मीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है :—

1	आवेदक खातेदार अभिघृति का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्यामसुन्दर टेलर पुत्र गंगाधर हिस्सा 7/19 जाति दर्जी निवासी भारीजा व संस्कार शिक्षण समिति दातारामगढ़ जरिये सचिव गंगाधर पुत्र नारायण हिस्सा 12/19 निवासी भारीजा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदर्श्य है।	नहीं
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम रामगढ़ ग्रामपाल रामगढ़ तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर
	(ख)भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 347/1 रक्वा 0.19 हेंड किस्म गैरुनु चाही संपूर्ण 0.19 हेंड यानि 1900 वर्गमीटर
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. रक्वा संपरिवर्तित रक्वा हेंड कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर) 347/1 0.19 0.19 1900 वर्गमीटर
	टिप्पणी—(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसमात भाग की सम्यक रूप से संख्यित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा द्वेष में संपरिवर्तित रक्वे को वरंग सुखी से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
5	संदेश प्रीमियम की दर	7.03 रुपये प्रति वर्गमीटर
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	तादाद कुल 13357/ रुपये जमा
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	1. इण्डियन रेड कॉर्प्रेस के मापदाण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा द्वेष के अनुसार सरक/रास्ते/रेल्वे/की सीमा कि भूमि संलग्न नक्शा द्वेष में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हुए।

२०२०/८/१५

सुपरिवर्तन आधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)

कृ.पृ.उ.2

२०२०/८/१५
उप पर्जीमक
दातारामगढ़, सीकर

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा ।—
1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि नियुक्त छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
 2. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों की पालना की जावेगी, तथा वातावरण को स्वच्छ स्थान होगा।
 3. यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क भार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
 4. राजस्थान सरकार के परिपत्र कमाक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र कमाक f-2(8)raj/bhu-ru group 09/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
 5. The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
 6. No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
 7. No part of the land converted for public utiltiy purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
 8. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
 9. प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
 10. सड़क व रास्ते व एचटीलाईन नक्शा ट्रैस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकवा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
 11. रूपान्तरित भूमि में हरे पेड काटे जाने 500 रु प्रति पेड जुर्माना राशि जमा करायी जानी होगी और एक पेड काटे जाने पर 3 पेड लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
 12. सुविधा आदि की व्यवस्था हेतु रूपान्तरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि में सांस्थानिक उपयोग किया जा सकेगा।


 प्राधिकृत अधिकारी
 (उपर्युक्त प्राधिकारी दातारामगढ़)
 दसिएकनवीनीनगृह, नगृह, 2020

कमाक/भूमि रूपा/2020/राजस्व/२१०-१५

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर।
2. तहसीलदार दातारामगढ़।
3. उप पंजीयक दातारामगढ़।
4. पटवारी हल्का, रामगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहाँ पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।
5. श्यामसुन्दर टेलर पुत्र गंगाधर जाति दर्जी निवासी भारीजा व संस्कार शिक्षण समिति दातारामगढ़ जरिये सचिव गंगाधर पुत्र नारायण निवासी भारीजा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।


 प्राधिकृत अधिकारी
 (उपर्युक्त अधिकारी दातारामगढ़)
 उपर्युक्त प्राधिकारी
 दातारामगढ़ (सीकर)



Presentation Endorsement

आज दिनांक 05 मार्च 2020 को 02:43 PM वेट
श्री/महिला/सुन्दर SHYAM SUNDAR TAILOR श्री/महिला/सुन्दर की GANGADHAR
TAILOR
उमेर 44 वर्ष, जनि DARJI, अवसास Service
ठिकानी House No. BHARIJA, Colony: BHARIJA, Area: BHARIJA, City:
BHARIJA, Pin code: 332742, District: SIKAR, State: RAJASTHAN
ने ये संग्रह अधिकारी परीक्षण हेतु संतुष्ट ठिका।



२११
राजस्थान राज्य प्रभाग
DATA RANGARH
दातारामगढ़ सीकर

हस्ताक्षर-प्रस्तुतकर्ता

202001497002285

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Fees Receipt Endorsement

संग्रह क्र. सं.	202002497002004
दिनांक	05-08-2020
पर्यायन रुपयां	134
परिवर्तित रुपयां	0
पुराप्रकल्प रुपयां	200
अन्य रुपयां	0
करी स्टाम्प रुपयां	500
करी सरपाराज रुपयां	150
कुल रुपयां	984

202001497002285

२११
राजस्थान राज्य प्रभाग
DATA RANGARH

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Endorsement of Execution

अधिकारी का नाम का पता

1. श्री/महिला/सुन्दर S O M DANTARAMGARH, उत्तराखण्ड का
SUB DIV. MEJT, राजस्थान सरकार
Rajasthan Government

हस्ताक्षर

अमुक्त

प्रबलार्थ का

प्रमाण

Executive
Age 0
Signature

--	--	--



जनक, वसुकारी का नाम व पति

2 श्यामसुन्दर टेलर SHYAM SUNDAR TAILOR, बाहुदीर्घी परी
गंगधर टेलर, व्यवसाय Service नाम DARI
House No: BHARIJA, Colony: BHARIJA, Area: BHARIJA,
City: BHARIJA, Pin code: 332742 District: SIKAR, State:
RAJASTHAN

3 श्री/श्रीमती/कुमारी SANSKAR SIKSHAN SAMITI JRV
GANGADHAR TAILOR, नारायणलाल, NARAYAN LAL,
अस्सीरा Business टॉप्पी DARJI
House No., BHARIJA, Colony BHARIJA Area, BHARIJA,
City BHARIJA, Pin code: 332742, District SIKAR, State:
RAJASTHAN

		<p>दावानिम अग्रवाल प्रधान राधापाल (सीकर)</p> <p>कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी</p> <p>Claimant Age: 58 Signature</p> <p>राधापाल</p>
		

ने जारी किया। Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules को पढ़ सुन व समझकर नियमावली का स्वीकार किया।

करता स्वीकार किया।
मेरे समझ में रु 1335/- पैसे में _____ दे मेरे समझ प्राप्त करता स्वीकार किया।

उस नियमादेन कर्ता को पहुँचाने विषय व्यक्तियों ने की है, जिनके दमायदर पाये जमुठा नियास में समझ लिए गए हैं।

अनुकूल भाषा का नाम क्या भरती

1 Name - मुकेश कुमार वैश्नव
पंडित ओम प्रकाश स्वामी

60

Add: House No. DANTARAMGARH, Colony: DANTARAMGARH, Area: DANTARAMGARH, DANTARAMGARH, Pin code: 332703, District: RAJASTHAN

State: RAJASTHAN
2 Name: कालश मंसाका KALASH MANSAKA रुक्मिणी मंसाका
3 Name: KALASH MANSAKA मंसाका MAHAJAN

MICHIGAN

Age: 36
Add: House No. DANTARAMGARH Colony,
DANTARAMGARH, Area: DANTARAMGARH, City:
DANTARAMGARH, Pin code: 332703, District: SIKAR
State: RAJASTHAN

चालानिक	शंगुठा	हस्ताख्यर
		
		

202001497002285

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



Under 54 Endorsement

मा. 54 के अन्तर्गत वासानव प्रभावित किया गया है। इस सेवा पर की अंकिता # 13357 अनुसूची में
दर्शक की सुधार दर्शक # 500 पर की परीक्षा संख्या # 134, अपार्टमेंट 150 एवं # 784 दर्शक संख्या
2020001497002285 दिनांक 05-08-2020 में दर्शक की गई है।
अपार्टमेंट # 500 में सुधार की प्रक्रिया की गयी गयी है।

2020001497002285

३१।

उप परीक्षक

उप परीक्षक, रामगढ़, सीकर
RAMGARH

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural
land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Registration Endorsement

आज दिनांक 05/08/2020 को
प्रमाण-संख्या 1 दिल्ली संख्या 537 में
प्रमाण-संख्या 26 दिल्ली संख्या 202003497101347 पर परीक्षा किया गया जबकि
परीक्षा-प्राप्ति संख्या 1 दिल्ली संख्या 2342 #
प्रमाण-संख्या 200 में 206 पर जरूरी किया गया।

2020001497002285

३१।
उप परीक्षक, DATA RAMGARH

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for
non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.